राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मनभरी बनाम लीला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	821/2018	
09/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि गांव केशवाना राजपूत में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 799/0. 65 बने है तथा साबिक खसरा नम्बर 527 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 796/0.01, 797/1.46, 798/0.01 हैक्टर बरामद हुए हैं, वादीगण व पूर्वज भगवाना पुत्र प्रेमा की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र खरीदशुदा भूमि है तथा साबिक खसरा नम्बर 531 मिन रकबा 1 बीघा भगवाना पुत्र प्रेमा को दिनांक 06/6/1961 को आवंटन हुयी थी एवं तभी से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अलाटी भगवाना व उसके वारिसान वादीगण ने हजारों रूपये खर्च करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है। सैटलमैन्ट कर्मचारियों ने मिलान क्षेत्रफल में साबिक आराजी खसरा नम्बर 531 का 1 बीघा रकबा जो हाल खसरा नम्बर 797 में गया है, को मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 797 में अंकित नहीं किया, जो हाल व साबिक नक्शे में मिलान करने पर बखूबी साबित होता है। साबिक खसरा नम्बर 526 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का हाल रकबा 0. 71 के विपरीत 0.65 हैक्टर बनाया है, जिसमें 0.06 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी में से कुल रकबा 0.31 हैक्टर रकबा कम करके प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के साबिक खसरा नम्बर 528 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के हाल रकबा 0.83 हैक्टर की जगह हाल खसरा नम्बर 794 व 795 का रकबा 1.28 हैक्टर दर्ज कर दिया, जिसमें वादीगण का कमी रकबा 0.31 हैक्टर शामिल कर दिया. जो दुरूस्ती योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार बार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने के लिए गत सप्ताह कहा तो वे टालमटोल करते रहे, इसलिए दावा पेश करना लाजिम आया ओर यही वाद कारण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 लगा.7 की और से अधिवक्ता श्री मुरारीलाल शर्मा उपस्थित आये, परन्तु बाद सुनवाई अनुपस्थित रहे। शेष राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**मनभरी बनाम लीला** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय दिनांक 12/07/2018 पारित करते हुये वादीगण का वाद पक्ष सिद्ध करने में असफल होना धारित करते हुये वाद पत्र ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 526 में रकबा कम होना तथा खसरा नम्बर 528 में रकबा बढ़ोतरी होना मानते हुये मात्र वादीगण द्वारा उक्त रकबे की कमी का प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि के रकबे में सम्मिलित होने का कोई तकनीकी रिपोर्ट पेश नही किया जाना धारित कर मुख्य तनकी संख्या 1 व 2 को बखिलाफ वादीगण तय करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है | प्रकरण के न्यायिक निस्तारण के लिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक था ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होते है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/07/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे लैण्ड होल्डर तहसीलदार से प्रकरण में सन्दर्भित खसरा नम्बरान के रकबे एवं वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में तकनीकी रिपोर्ट तलब कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर